प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
विशाल काम्प्लेक्स, 19–ए विधान सभा मार्ग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

1. **समस्त मंडलीय अपर निदेशक**
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उ0प्र0।
2. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

1916-2

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / एन.आर.एच.एम. / आर.आई. / ट्रेनिंग / 13–14 / 06 / दिनांक 29 / 07 / 2013

विषयः–नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अर्न्तगत मंडल एवं जनपद स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षणों हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मण्डल स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों का तीन दिवसीय प्रषिक्षण तथा जनपद स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु0 / म0) का दो दिवसीय प्रशिक्षण, कोल्ड चेन हैण्डलर का एक दिवसीय, डाटा हैण्डलर का एक दिवसीय तथा ब्लाक स्तर पर फ्रंट लाईन वर्कर्स (ए0एन0एम0, आशा, ऑगनबाड़ी कार्यकत्री) का सघन टीकाकरण प्रशिक्षण प्रस्तावित है, जिसके संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण कराना सुनिश्चि करें.।

- **C.3.1 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षणः–**

जनपदों मे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अर्न्तगत रिओरियेन्टेशन प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है, जिसके अर्न्तगत हेपेटाइटिस बी, खसरा तथा जे0ई0 वैक्सीन की अद्युनान्त जानकारी के बारे में बताया जाना है। उक्त हेतु ₹46200 प्रति प्रशिक्षण सत्र की दर से वित्तीय अनुमति प्रदान की गई है।

इस प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक बैच में 20 प्रतिभागियों (अधिकतम) को जनपद स्तर के प्रशिक्षण प्रशिक्षकों (4 प्रशिक्षकों) द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रतिभागियों में स्वा0कार्य0 (पुरूष / महिला), स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पु0 / म0), स्वा0षिं0अधि0 जो पिछले तीन वर्षों में अप्रशिक्षित हैं, उन सभी का प्रशिक्षण निर्धारित माड्यूल (पूर्व में जनपदों को वितरित किया गया है।) के अनुसार कराना सुनिष्वित करें। उक्त दो दिवसीय प्रशिक्षण में एक दिवस फील्ड विजिट का भी रखा जाये।

यह धनराशि निम्न मानकों के आधार पर अवमुक्त की जा रही हैः–

मद	दर (₹)	संख्या	कुल दिवस	कुल धनराशि
प्रतिभागियों हेतु डी0ए0	300 / दिवस	20	2	₹12000
प्रशिक्षकों हेतु डी0ए0	500 / दिवस	4	2	₹4000
प्रतिभागियों हेतु टी0ए0	*400	20	1	₹ 8000
जिला स्तरीय प्रशिक्षकों हेतु टी0ए0	**800	4	1	₹3200
भोजन व्यवस्था – 3 बार प्रतिदिन	200	24	2	₹9600
कंटिजेंसी				₹7000
इंस्टिट्यूशनल ओवरहैड				₹2400
कुल योग प्रति बैच				₹46200

* वास्तविक व्यय या ₹ 400 जो भी कम हो देय होगा।
** वास्तविक व्यय या ₹ 800 जो भी कम हो देय होगा।

- **C.3.2 चिकित्सा अधिकारियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण :–**

चिकित्साधिकारियों का 3–दिवसीय प्रशिक्षण प्रदेश के 11 क्रियाशील मंडलीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केद्रों (आर0एच0एफ0डब्लू0टी0सी0) पर आयोजित किया जाएगा तथा इसके लिए ₹ 65600 प्रति प्रशिक्षण सत्र की दर से वित्तीय अनुमति प्रदान की गई है। यह 11 मंडलीय प्रशिक्षण केद्र हैं:–आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, फैजाबाद, झांसी, कानपुर नगर, मुरादाबाद तथा वाराणसी।

चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण मंडल एवं जनपद स्तरीय प्रशिक्षित प्रशिक्षकों (एन0आई0एच0एफ0डब्लू0 दिल्ली से प्रशिक्षित) द्वारा रिवाइज्ड माड्यूल ऑन इम्यूनाइजेशन फॉर मेडिकल आफीसर के अनुसार किया जायेगा। उक्त तीन दिवसीय प्रशिक्षण में एक दिवस फील्ड विजिट का भी रखा जाये।

इन प्रशिक्षणों हेतु धनराशि निम्न मानकों के आधार पर अवमुक्त की जा रही है:–

मद	दर (₹)	संख्या	कुल दिवस	कुल धनराशि
प्रतिभागियों हेतु डी0ए0	400/दिवस	20	3	₹24000
मंडल स्तरीय प्रशिक्षकों हेतु डी0ए0	500/ दिवस	4	3	₹6000
प्रतिभागियों हेतु टी0ए0	*500	20	1	₹10000
मंडल स्तरीय प्रशिक्षकों हेतु टी0ए0	*500	4	1	₹2000
भोजन व्यवस्था -- 3 बार प्रतिदिन	200	24	3	₹14400
कंटिजेंसी				₹7000
इंस्टिट्यूशनल ओवरहैंड				₹2200
कुल योग प्रति बैच				₹65600

* वास्तविक व्यय या ₹ 500 जो भी कम हो देय होगा।

- **C .3.4 कोल्ड चेन हैंडलर हेतु 1 दिवसीय प्रशिक्षण :–**

समस्त कोल्ड चेन हैंडलर का एक दिवसीय प्रशिक्षण जनपद स्तरीय प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा कोल्ड चेन माड्यूल के आधार पर यूनीसेफ का सहयोग लेते हुए कराना सुनिश्चित करें। (20 प्रतिभागी प्रति बैच)। उक्त प्रशिक्षण में जनपद स्तरीय/मंडल स्तरीय कोल्ड चेन प्वाइंट का भ्रमण भी कराना सुनिश्चित किया जाये।

इन प्रशिक्षणों हेतु धनराशि निम्न मानकों के आधार पर अवमुक्त की जा रही है:–

मद	दर (रू0)	संख्या	कुल दिवस	कुल धनराशि
प्रतिभागियों हेतु डी0ए0	300/दिवस	20	1	₹6000
प्रशिक्षकों हेतु डी0ए0	500/ दिवस	4	1	₹2000
प्रतिभागियों हेतु टी0ए0	*400	20	1	₹8000
प्रशिक्षकों हेतु टी0ए0	**600	4	1	₹2400
भोजन व्यवस्था – 3 बार प्रतिदिन	150	24	1	₹3600
कंटिजेंसी				₹3000
इंस्टिट्यूशनल ओवरहैंड				₹1600
कुल योग प्रति बैच				₹ 26600

* वास्तविक व्यय या ₹400 जो भी कम हो देय होगा।

** वास्तविक व्यय या ₹600 जो भी कम हो देय होगा।

- **C .3.5 डाटा हैंडलर हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण :–**

जनपदों में समस्त डाटा हैंडलर हेतु नियमित टीकाकरण से संबधित रिकॉर्डिंग तथा रिपोर्टिंग पर एक दिवसीय प्रशिक्षण निर्धारित माड्यूल के आधार पर कराना सुनिश्चित करें। यह प्रशिक्षण जनपद स्तर पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण में रिपोर्ट से संबधित एक्सरसाइज (अभ्यास) का भी प्राविधान किया जाये। इन प्रशिक्षणों हेतु धनराशि ₹300 प्रति प्रतिभागी के आधार पर अवमुक्त की जा रही है।

- **C .3.6 फ्रन्टलाइन वर्कर्स की इन्टेसीफाईड इम्यूनाइजेशन प्रशिक्षण (अर्ध दिवसीय):–**

जनपदों में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षकों द्वारा ब्लाक स्तर पर समस्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा, ऑगनबाडी का अर्ध दिवसीय प्रशिक्षण एन0पी0एस0पी0–डब्लू0एच0ओ0 के सहयोग से कराया जाना है, जिसमें प्रतिभागियों की संख्या 30 प्रतिभागी प्रति बैच निर्धारित है। इन प्रशिक्षणों हेतु धनराशि निम्न मानकों के आधार पर अवमुक्त की जा रही है:–

मद	दर (रू0)	संख्या	कुल दिवस	कुल धनराशि
प्रतिभागियों हेतु डी0ए0	₹50 /– प्रतिभागी	30	1	₹1500 /–
प्रशिक्षकों हेतु मानदेय	₹ 250 प्रति बैच	2	1	₹500 /–
भोजन व्यवस्था – 3 बार प्रतिदिन	₹50 /– प्रतिभागी	30	1	₹1500 /–
इंसीडेंटल / 150/– प्रति प्रतिभागी (टी0वी0, वी0सी0डी0, एल0सी0डी0, जनसेट, फ्लिप चार्टस, स्टेशनरी, वेन्यू हायरिंग, जेनिटोरियल	₹150 /– प्रतिभागी	30	1	₹4500 /–
कुल योग प्रति बैच				₹ 8000 /–

उक्त समस्त प्रशिक्षणों के संदर्भ में ध्यान रखें कि :–

- तालिका अनुसार व्यय सीमा के अंदर ही प्रशिक्षण का आयोजन किया जाए।
- सभी प्रशिक्षण पावर प्वाइंट के आधार पर एल0सी0डी0 के माध्यम से कराया जाना सुनिष्चित करें।
- सभी प्रशिक्षणों में प्री एवं पोस्ट टेस्ट का प्राविधान आवष्यक है।

सत्यापन योग्य संकेतक:–

- प्रतिभागियों की उपस्थिति सूची
- जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा भेजे गए फीडबैक प्रपत्र
- फोटोग्राफ के साथ व्यय विवरण।

उक्त प्रशिक्षण हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रशिक्षण मद में उपलब्ध धनराशि नियमानुसार अपने संबधित मंडल स्तर पर उपलब्ध करायेंगे।

विभिन्न वर्ग के प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी पूर्व में ही मिशन निदेशक एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 को जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी निश्चित रूप से देगें ताकि भारत सरकार को जानकारी उपलब्ध करायी जा सके।

उक्त दिशा–निर्देश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें तथा प्रशिक्षण उपरांत 15 दिवस के अन्दर व्यय–विवरण एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 एवं महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अमित कुमार घोष),
मिशन निदेशक

पत्रांक–एस.पी.एम.यू. / एन.आर.एच.एम. / आर.आई. / ट्रेनिंग / 13–14 / 06 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि–

1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

2 महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवायें महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3 महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5 प्रधानाचार्य, संभागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, इंदिरा नगर, लखनऊ।

6 अपर निदेशक, यू0आई0पी0 / संयुक्त निदेशक (आर0आई0), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।

7 समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक, एन0आर0एच0एच0, एस0पी,एम0यू0, लखनऊ।

8 समस्त मण्डलीय / जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

9 महाप्रबन्धक एम0आई0एस0, एन0आर0एच0एम0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि आर0आई0 प्रशिक्षण की गाइड लाइन को एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

10 कार्यक्रम अधिकारी, यूनीसेफ, 3 / 194, विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

11 माइक्रोन्यूट्रिएन्ट इनिशिएटिव (एम0आई0), 2–60 विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

12 एम0चिप0, 1 / 18 विश्वास खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।

13 एन0पी0एस0पी0(डब्ल्यू0एच0ओ0), जगत नारायण रोड, लखनऊ।

(अमित कुमार घोष),
मिशन निदेशक